अपील संख्या– 45/2019

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रेवन्तराम बनाम फरसाराम	
18-11-25	अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभय पक्षों को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट/ प्रार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्व मण्डल मे पेश करने से पूर्व प्रार्थी को विधिक राय मिली के उक्त कार्यवाही में अंतिम डिक्री पारित हो चुकी है। अंतिम डिक्री के विरूद्ध कार्यवाही करके ही मण्डल में आये। इस अपीलांट द्वारा अपने वकील से संपर्क किया जिस पर प्रार्थी के वकील ने बताया कि प्रकरण में अंतिम डिक्री दिनांक 17–02–2012 को जारी की जा चुकी हैं। जिसकी सूचना प्रार्थी/अपीलांट को नही दी गई। इस पर प्रार्थी/अपीलांट द्वारा ने उक्त डिक्री दिनांक 17–02–2012 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की और उसके साथ डिक्री की पालना में खाता विभाजन के प्रस्ताव के प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की और पैसो की व्यवस्था कर अभिभाषक से संपर्क किया और जानकारी की दिनाक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। अपील को जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद माना जावे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहॉ मेरिट पर अगर प्रकरण मजबूत हो वहॉ मियाद के बिन्दू को गौर रखा जावे। अतः अपीलांट के प्रति नरम रूख रखते हुए प्रार्थी/अपीलांट का मियाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावे। राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर	

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अभिभाषक अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन करते हुए कहा कि प्रार्थी रेवन्तराम पुत्र नेमाराम कुम्हार निवासी नोखा गॉव तहसील नोखा ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक अपील अनवानी रेवन्तराम बनाम फरसाराम वगै. पेश की है जिसके साथ में एक प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व एक शपथ पत्र उसके द्वारा शपथ लेकर पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व उसके साथ शपथ पत्र में शपत्र लेकर यह अंकित किया है कि उसने डिक्री दिनांक 17–02–2012 की कोई जानकारी नही थी जबकि यह कथन उसने जानबुझकर बदनियति से शपथ लेकर झूठे अंकित किये है। उक्त तथ्य माननीय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 6–8–2018 अनवानी रेवन्तराम आदि बनाम फरसाराम आदि न. मु. 1/12 से स्पष्ट है कि रेवन्तराम ने झुठे कथन किये है। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वेग व बॉग्स है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे मियाद कंडोन करने का कोई संतोषजनक कारण नही बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17–02–2012 को जो अंतिम डिक्री पारित की गई है वह प्रार्थी/अपीलांट की उपस्थिति में पारित की गई है। प्रार्थी/अपीलांट की अपील संख्या 1/12 में निर्णय दिनांक 6–8–2018 को पारित किया गया था उसके विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र भी प्रार्थी/अपीलांट का खारिज किया गया था। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में डेट ऑफ नॉलेज भी अंकित नही किया गया है। अतः प्रार्थी/अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जावे। अभिभाषक अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1993 सुप्रीम कोर्ट पेज 226 प्रस्तुत किया।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय द्वारा मियाद के सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं पर विचारण किया जाना है–

1– **क्या अपील अन्दर मियाद है अथवा नही?**

2– **क्या अपील पेश करने में विलम्ब हेतु अपीलांट द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किये गये है अथवा नही?**

3– **क्या प्रकरण गुणावगुण पर इतना मजबूत है जिससे कि दीर्घकालीन विलम्ब पर गुणावगुण आधारित निर्णयन को वरियता दी जा सके?**

प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–02–2012 को पारित किया गया जबकि हस्तगत अपील दिनांक 26–08–2019 को प्रस्तुत की गई है। निर्णय व डिक्री की अपील पेश करने हेतु 60 दिवस की अवधि निर्धारित है। जबकि यह अपील **लगभग 07 वर्ष** पश्चात् प्रस्तुत की गई। अतः अपील मियाद अवधि के पश्चात् पेश की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब कंडोन करने व अपील को अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है। न्यायालय को यह विचारण करना है कि क्या विलम्ब की अवधि अत्यधिक है अथवा नही? क्या अपीलांट द्वारा विलम्ब हेतु दर्शित कारण 'पर्याप्त कारण' है जिससे की न्यायालय का यह समाधान हो कि विलम्ब हेतु उत्तरदायी परिस्थितियॉं ऐसी थी, जो कि अपीलांट के नियंत्रण से बाहर हो।

इस हेतु मियाद अधिनियम के प्रावधानो पर गौर करना उचित होगा। मियाद अधिनियम की धारा 3 के अनुसार (1) Subject to the provisions contained in sections 4 to 24 (inclusive), every suit instituted, appeal preferred, and application made after the prescribed period shall be dismissed, although limitation has not been set up as a defence.

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मियाद अधिनियम की धारा 5 के अनुसार–

"Any appeal or any application, other than an application under any of the provisions of Order XXI of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), may be admitted after the prescribed period, if the appellant or the applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. "

उपर्युक्त प्रावधानो के आलोक में यह स्पष्ट है कि धारा 3 मियाद अधिनियम के अनुसार न्यायालय मियाद से बाहर प्रस्तुत अपील को खारिज करेगा। वही धारा 5 यह प्रावधित किया गया है कि यदि अपील में विलम्ब हेतु अपीलांट द्वारा यदि संतोषप्रद कारण बताया जाता है तो न्यायालय उस पर विचार करेगा। संतोषप्रद कारण क्या है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1955 पेज संख्या 252 में यह अवधारित किया गया है कि–

"We have heard the learned counsel appearing for the parties and have gone through the recoed as well. It is ture that an appellate court is to exercise its own discretion while dealing with the question as to whether a " sifficient cause" for the delay under section 5 of the Indian Limitation Act exisits or not. But it is a general principle of law that discreationary power must be exercised on judicial principles and not" in any arbitrary vague or fanciful manner." The term " Sufficient cause" has not been defined anywhere in the Indian Limitation Acts, but it has been held that it must mean a cause which is beyond the control of the party invoking the aid of the section. Necessarily it follows that a case for delay which

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

by due care and attention could have been avoided cannot constitute a sufficient cause."

अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के संबंध में यह कारण अभिलिखित किया है कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्व मण्डल मे पेश करने से पूर्व प्रार्थी को विधिक राय मिली के उक्त कार्यवाही में अंतिम डिक्री पारित हो चुकी है। अंतिम डिक्री के विरूद्ध कार्यवाही करके ही मण्डल में आये। इस अपीलांट द्वारा अपने वकील से संपर्क किया जिस पर प्रार्थी के वकील ने बताया कि प्रकरण में अंतिम डिक्री दिनांक 17–02–2012 को जारी की जा चुकी हैं। जिसकी सूचना प्रार्थी/अपीलांट को नही दी गई। इस पर प्रार्थी/अपीलांट द्वारा ने उक्त डिक्री दिनांक 17–02–2012 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की और पैसो की व्यवस्था कर अभिभाषक से संपर्क किया और जानकारी की दिनाक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.12.2011 व अंतिम डिक्री दिनांक 17.02.2012 को जारी की गई थी। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 30–12–2011 की अपील तो इस न्यायालय में वर्ष 2013 में ही कर दी गई थी परन्तु अंतिम डिक्री दिनांक 17–02–2012 की अपील नही की गई थी। चूंकि जब अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील की गई थी तब उक्त प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी हो चूकी थी। अपीलांट का यह कथन मानने योग्य नही है कि अपीलांट को उक्त अंतिम डिक्री दिनांक 17–02–2012 की जानकारी नही रही है। साथ ही विलम्ब का अन्य कारण यह दर्शाया है कि अभिभाषक द्वारा अंतिम डिक्री की सूचना नही दी गई। परन्तु पत्रावली पर संबंधित अभिभाषक का शपथ पत्र पेश नही किया है। अपीलांट विलम्ब अवधि के संबंध में ऐसा कोई कारण दर्शित करने में असफल रहे है जिससे कि न्यायालय को

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

यह समाधान हो कि विलम्ब की परिस्थिति अपीलांट के नियंत्रण से बाहर थी।

अपीलांट द्वारा आदेश दिनांक 17–02–2012 की अपील लगभग 7 वर्ष पश्चात् पेश की गई है। विलम्ब की यह अवधि अत्यधिक है। विलम्ब के संबंध में अपीलांट द्वारा कोई संतोषप्रद कारण दर्शित नही किया गया है जिससे यह न्यायालय को यह समाधान हो कि यह विलम्ब के संबंध में पर्याप्त कारण है और विलम्ब की परिस्थितियॉ अपीलांट के नियंत्रण से बाहर थी।

अपील का मुख्य आधार यह लिया गया है कि तहसीलदार द्वारा स्वयं बिना मौके पर गये विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है जबकि पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा नियम 19 ता 21 की पालना में बनाये गये है। प्रकरण गुणावगुण पर भी इतना मजबूत नही है कि विलम्ब की इस दीर्घकालीन अवधि को न्यायहित में क्षमा किया जा सके। मियाद अधिनियम के प्रावधान औपचारिकता मात्र नही है। विलम्ब हेतु प्रत्येक दिन का कारण दर्शित करना जरूरी है। 07 वर्ष विलम्ब की अवधि एक दीर्घ अवधि है। परिसीमा अधिनियम के सिद्धान्त उदार तरीके से काम में लिये जाने चाहिए परन्तु इसका अर्थ यह नही होता है कि कोई पक्षकार अपने अधिकारो के प्रति जागरूक नही रहे। न्यायिक दृष्टांत सुमेरसिंह बनाम मेसर्स पुष्पा मोटर्स व अन्य आरएलडी 2000 (2) पेज 258 यहॉ पूर्णतया चस्पा होते है।

विलम्ब की अत्यधिक अवधि (07 वर्ष) एवं इस दीर्घ अवधि के विलम्ब के संबंध में पर्याप्त/संतोषप्रद कारण न होने से इसे अन्दर मियाद शुमार नही किया जा सकता है। न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यु. 2008 (2) आर.जे. पेज संख्या 949 के आलोक में जहॉ अपील मियाद बाहर हो वहॉ गुणावगुण पर विचार नही किया जा सकता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद बाहर होने के कारण मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर